• प्रेस विज्ञप्ति •

दिनांक :0606 2020

आज पुलिसमहानिदेशक/ महानिरीक्षक कारागार श्री आनंद कुमार जी ने प्रदेश की जेलों में निरूद्ध कुख्यात अपराधियों/माफियाओं पर कठोर नियंत्रण हेतु कुछ निर्देश जारी किए हैं.उनके निर्देशों का मूल पाठ निम्नवत है :-

"शासन द्वारा सभी कुख्यात अपराधियों/ माफियाओं और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, जो विधि व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं ,धमकी देते हैं तथा अन्य प्रकार के गैरकानूनी कार्य करते हैं .
उपरोक्त आदेशों के अनुपालनार्थ सभी जेल अधिकारियों का दायित्व है कि वे विभिन्न जेलों में निरुद्ध ऐसे अपराधियों पर कठोर नियंत्रण और निगरानी रखें ,
तथा:

1
ऐसे अपराधियों की एक सूची बनाएं जो नियमों का निर्द्वंदभाव से उल्लंघन करते हैं तथा कारागार की प्रशासनिक व्यवस्था और शुचिता को खंडित करने का प्रयास करते हैं.

2
जेलों में ऐसे अपराधियों की गतिविधियों की कठोर चौकसी और निगरानी की व्यवस्था सभी संभव तरीकों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में सुनिश्चित की जाए.

3
ऐसे तत्वों की निगरानी करने वाले जेल कर्मियों को नियमित रूप से निर्देशित किया जाए. जेलकर्मियों और अपराधियों में प्रलोभन के चलते किसी संभावित सांठगांठ की आशंका को रोकने हेतु जेल कर्मियों की ड्यूटी भी निरंतर रोटेट की जाती रहे .

4
जेलों में मोबाइल फोन और अन्य संचारी उपकरणों के प्रयोग और पहुंच पर पूर्णप्रतिबंध हर हाल में सुनिश्चित किया जाए , ऐसे किसी भी कुकृत्य को गंभीरता व जीरो टॉलरेन्स के तहत लिया जाए.

5
अधीक्षक और जेलर द्वारा जेल में आकस्मिक छापेमारियाँ सम्पादित की जायें.

6
ऐसे अपराधियों द्वारा जेल में डराने धमकाने जैसी कार्यवाहियों की सूचना समय रहते तत्काल संबंधित जिले के जिला प्रशासन और जेल मुख्यालय को प्रेषित की जाय"

•